(ग) क्या उक्त मिल को सही अर्थों में पुन: चालू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) उक्त मिल में उसके बन्द होने से पहले कार्यरत सभी श्रमिकों की पुन-नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी हां।

(ख) मैसर्स नवजीवन मिल्स, कलोल की नामावली में, इसके बन्द होने से पहले, श्रमिकों की संख्या 2060 थी। इस मिल में 2.8.1984 तक लगभग 300 श्रमिक नियुक्त किये गये थे।

(ग) कताई विभाग से इसे पुन: चालू किया गया और अन्य विभागों को पुन: चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) गुजरात में बन्द पड़ी रूग्ण मिलों के अध्ययन हेतु नियुक्त अधिकारी समूह द्वारा इस मिल की पुर्नस्थापना के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है। गुजरात सरकार ने इसे एकक को एक राहत उद्यम के रूप में अधिसूचित किया है। वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

Import of Beef Tallow

4637. SHRI RAVINDRA VERMA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have by now fully investigated about the circumstances in which the import of beef tallow was allowed ;

(b) the names of the parties who imported it with the quantity against each party ;

(c) the use to which the same was put ; and

(d) the countries from which it was imported together with the price at which it was imported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) Investigations and Departmental proceedings have not been completed in all cases.

(c) Animal tallow is stated to be an item of raw material for the manufacture of soap, etc. Actual us of animal tallow will depend upon relevant law applicable thereto.

(d) As the investigations and Departmental proceedings are yet to be completed, it is not possible to indicate the names of countries from which tallow has imported or the price at which these were imported. However, the major source of supply are USA, U.K., New Zealand and Australia.

Closing of Bank Branches by Employees of Punjab and Sind Bank

4638. SHRI CHHANGUR RAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some employees of the Punjab and Sind Bank had forced to close the bank branches on the day military took action in Punjab ;

(b) if so, the action Government have taken against such employees ; and

(c) the number of employees who have taken leave on that particular day and the action taken against them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) (a) and (b) As per the information available with Punjab & Sind Bank, no instance of the bank employees forcibly closing the bank's branches on the day following army action in Punjab has come to the notice of the bank.

(c) At some places, employees are reported to have gone on causal leave on the day following army action in Punjab. Information relating to the number of such employees is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

मृत अफीम उत्पादकों के पुत्रों को दिए गए लाइसेंस

4639. **श्री चतुर्भुज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा-झालावाड़ और चित्तोड़-गढ़ जिलों में वर्ष 1983-84 के दौरान कितने अफीम उत्पादकों को, उनके पिता के मरने के बाद लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में अधिकारियों ने केवल जिला मुख्यालयों में ही फोती पट्टा लाइसेंस (मृत्यु पट्टा लाइसेंस) दिये जबकि कुछ मामलों में नियमानुसार ब्लाक केन्द्रों पर अफीम के लिए "फोती पट्टा" जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या इन मामलों में सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी जायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जायेगा और तथ्य सदन के सभा-पटल पर रखें जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा) (क) वर्ष 1983-84 के दौरान जिन अफीम उत्पादकों को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् लाइसेंस दिए गए हैं, उनकी जिला-वार सख्या निम्नलिखित है :—

जिला	लाइसेंसों की संख्या
कोटा	215
झालावाड़	301
चित्तोड़गढ़	499
	1015

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित कुल 1015 लाइसेंसों में से 830 लाइसेंस स्थानीय केन्द्रों पर जारी किए गए थे। बाकी के मामलों में, जहां काश्तकार समझौता-केन्द्रों पर उपस्थित नहीं हुए अथवा संगत कागजात प्रस्तुत नहीं किए, वहां लाइसेंसों की उप-नारकोटिक आयुक्त के सत्यापन एवं अनुमोदन के पश्चात जिला केन्द्रों पर जारी किया गया था।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि गैर-कानूनी रिश्वत लेने संबंधी दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। विभाग द्वारा उनकी जांच-पड़ताल की गई तथा उन्हें बेबुनियाद पाया गया। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सतर्कता जांच कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।